षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री चन्द्रसेन प्रसाद, स०वि०स० श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स०	"राज्य में संचालित सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० बोर्ड से संबंद्ध निजी विद्यालयों में वर्ष 2013 में उक्त बोर्डों द्वारा निदेशित एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों से ही कक्षा-एक से +2 तक की पढ़ाई करायी जानी है लेकिन इसके विपरीत मनमाने ढंग से निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अपने-अपने विद्यालयों में पठन-पाठन में चलाई जा रही है, जिसकी कीमत निजी प्रकाशकों द्वारा मनमाने ढ़ंग से तय किये जाते हैं और अभिभावकों से मनमाने राशि वसूल कर निजी विद्यालय के संचालकों को कमीशन दिया जा रहा है । इस गोरखधंधे में अभिभावकों से प्रत्येक साल करोड़ो रूपये की अवैध उगाही कर निजी विद्यालय के संचालक एवं निजी प्रकाशक मालामाल हो रहे हैं । अतएव उक्त बोर्डों द्वारा निदेशित एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों से निजी विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारम्भ कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री लाल बाबू प्र. गुप्ता, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203)	"बिहार होल्डिंग टैक्स कर निर्धारण एक्ट 2007 एवं 2013 में बकाया होल्डिंग टैक्स पर डेढ़ प्रतिशत बढ़ाकर टैक्स वसूलने का प्रावधान है । कार्यरत टैक्स कल्क्टर से टैक्स वसूली का कार्य नहीं कराकर आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है । आउट सोर्सिंग वाले एक जगह कार्यालय खोलकर कम्प्यूटर से टैक्स ले रहे हैं । पहले त्रिमासिक, अर्द्धवार्षिक, नवमासिक एवं वार्षिक टैक्स लिया जाता था, अब वार्षिक एक बार ही लिया जा रहा है । बकाया पर अपने साफ्टवेयर में डेढ़ प्रतिशत नहीं रखकर वर्त्तमान वर्ष में 9 प्रतिशत क्रमशः वित्तीय वर्ष में 27%, 14-15 में 45%, 13-14 में 63%, 12-13 में 75%, 11-12 में 96% एवं 10-11 में 148% साफ्टवेयर में डाटा फिड है । वर्ष 12-13 में दोगुना टैक्स वसूला गया था जिसे अगले वर्ष में समायोजन करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । साफ्टवेयर में डिडक्शन करने का डाटा फिड नहीं है । पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल सहित सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत द्वारा अभी तक टैक्स वसूला जा रहा है । अतः इसकी जाँच कराकर नियम के अनुसार टैक्स वसूलने, अधिक राशि वसूली गई रकम को अगले वर्ष में समायोजन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	नगर विकास एवं आवास

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/17- 2429-2441 /वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2017 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/17- 2429-2441 /वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2017 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

30.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।